



# कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बनीपार्क नगर निगम जयपुर

क्रमांक: एफ.9( )आ.फा./न.नि.ज/19/2458

दिनांक 23/12/19

श्री विनोद गोयल,  
पुत्र श्री मणिशंकर गोयल,  
निदेशक मैसर्स मंगलम बिल्ड डवलपर्स लि,  
पंजीकृत कार्यालय छठी मजिल अपेक्स मॉल,  
लालकोठी टोक रोड जयपुर।

विषय:- अग्निशमन अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि बढ़ाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदित स्थल खसरा न: 187, 187/789, 188, 188/790, 189 से 191 191/791, 192से 206, 209 से 219, 221 से 224, 379 से 383 ग्राम हाज्यावाला तह0 सांगानेर जिला जयपुर में निर्मित किये जाने भवन की अस्थाई फायर अनापत्ति पूर्व में इस विभाग के पत्रांक एफ 9( ) आ.फा./न.नि.ज/14/1777 दिनांक 28.10.2014 को तीन वर्ष की अवधि के लिये अस्थाई फायर अनापत्ति जारी की गई थी।

पुनः आप द्वारा इस विभाग में आवेदन कर आवेदित स्थल पर भवन की अस्थाई फायर अनापत्ति की अवधि बढ़ाने हेतू लिखा है। अतः उक्त स्थल का मौका निरीक्षण किया गया जहाँ पर निर्माण कार्य होने के कारण उक्त स्थल की अस्थाई फायर अनापत्ति की अवधि एक वर्ष के लिये दिनांक 10.12.2019 तक बढ़ाई गई थी।

अब पुनः आप द्वारा इस विभाग में आवेदन कर आवेदित स्थल पर भवन की अस्थाई फायर अनापत्ति की अवधि बढ़ाने हेतू लिखा है। अतः उक्त स्थल का मौका निरीक्षण किया गया जहाँ पर कार्य पूर्ण नहीं है। उक्त स्थल की अस्थाई फायर अनापत्ति की अवधि एक वर्ष के लिये दिनांक 16.12.2020 तक बढ़ाई जाती है। अन्य शर्तें पूर्व में जारी पत्रांक एफ9 ( )आ.फा./न.नि.ज/14/1777 दिनांक 28.10.2014 दिनांक 28.10.2014 के अनुसार ही रहेगी।

—sd—  
(जगदीश प्रसाद फुलवारी)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
नगर निगम जयपुर

## प्रतिलिपि

1. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, भवन मानचित्र समिति, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

—sd—  
(जगदीश प्रसाद फुलवारी)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
नगर निगम जयपुर



## कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बनीपार्क नगर निगम जयपुर

क्रमांक: एफ.9( )आ.फा./न.नि.ज/18/2018

दिनांक 12/12/18

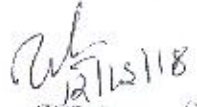
श्री दिनोद गोयल,  
पुत्र श्री मणिशंकर गोयल,  
निदेशक मैसर्स मंगलम बिल्ड डेवलपर्स लि,  
पंजीकृत कार्यालय छठ मंजिल अपेक्स मॉल,  
लालकोठी टोक रोड जयपुर।

विषय:— अग्निशमन अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि बढ़ाये जाने  
बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदित स्थल खसरा न: 187, 187/789, 188,  
188/790, 189 से 191 191/791, 192 से 206, 209 से 219, 221 से 224, 379 से  
383 ग्राम हाज्यावाला तह 0 सांगानेर जिला जयपुर में निर्मित किये जाने भवन की  
अस्थाई फायर अनापत्ति पूर्व में इस विभाग के पत्रांक एफ 9( ) आ.फा./न.नि.  
ज/14/1777 दिनांक 28.10.2014 को तीन वर्ष की अवधि के लिये अस्थाई फायर  
अनापत्ति जारी की गई थी।

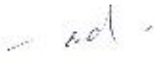
अब पुनः आप द्वारा इस विभाग में आवेदन कर आवेदित स्थल पर भवन  
की अस्थाई फायर अनापत्ति की अवधि बढ़ाने हेतु लिखा है।

अतः उक्त स्थल का मौका निरीक्षण किया गया जहाँ पर वर्तमान में  
निर्माण कार्य चल रहा है अतः पूर्व में जारी अभिशंषा पत्र की अवधि इस पत्र के  
जारी दिनांक से एक वर्ष के लिये दिनांक 10.12.2019 तक बढ़ाई जाती है। अन्य शर्तें  
पूर्व में जारी पत्र दिनांक 28.10.2014 के अनुसार ही रहेगी।

  
(जगदीश प्रसाद फुलवारी)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि

1. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, भवन मानचित्र समिति, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

  
(जगदीश प्रसाद फुलवारी)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
नगर निगम जयपुर



कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम, जयपुर  
मुख्यालय बनीपार्क फायर स्टेशन जयपुर

क्रमांक:- एफ.9(45)आ.फा./न.नि.ज/14/1777 दिनांक:-28-10-2014

✓ प्रेषित:-

श्री विनोद गोयल,  
पुत्र श्री मणिशंकर गोयल,  
निदेशक मैसर्स मंगलम बिल्ड डवलपर्स लि0,  
पंजीकृत कार्यालय छठे फ्लोर अपेक्स मॉल लालकोठी,  
टोक रोड जयपुर।

विषय:- खसरा न: 187, 187/789, 188, 188/790, 189 से 191 191/791, 192से 206, 209 से 219, 221 से 224,379 से 383 ग्राम हाज्यावाला तह0 सांगानेर जिला जयपुर में निर्मित किये जाने भवन की अस्थाई फायर अनापत्ति बाबत।

प्रसंग:- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2014 के सदर्थ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा दिनांक 08.07.2014 को इस विभाग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बहुमंजिला इमारत/परिसर निर्माण से पूर्व अग्निशमन की दृष्टि से अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति चाही है। आवेदित स्थल का मौका निरीक्षण किया गया आवेदक श्री विनोद गोयल निदेशक मैसर्स मंगलम बिल्ड डवलपर्स लि0 खसरा न: 187, 187/789, 188, 188/790, 189 से 191 191/791, 192से 206, 209 से 219, 221 से 224,379 से 383 ग्राम हाज्यावाला तह0 सांगानेर जिला जयपुर में उक्त भूखण्ड में बहुमंजिला इमारत/परिसर का निर्माण सलग्न हस्ताक्षरित नक्शों के अनुरूप अग्निशमन दृष्टि से निम्न शर्तों की पालना करने को बाध्य करते हुये अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति जारी की जाती है।

1. भवन का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम जयपुर द्वारा स्वीकृत मानचित्रानुसार करना होगा।
2. निर्माण किये जाने वाले भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप फायर लिफ्ट व फायर स्टेयर केस एवम् नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप आग से बचाव, आग बुझाने व आग से सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना अनिवार्य होगी।
3. निर्मित किये जाने वाले बहुमंजिला भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप फायर हाईड्रेंट मय होज व नोजल, होजरील होज, फायर एग्स्टिंग्यूशर, एम.सी.पी मय हुटर, फायर डिडेक्शन सिस्टम मय फायर पेनल, फायर स्प्रिंकलर, एमरजेन्सी लाईट, अण्डर ग्राउण्ड व ओवर हैड फायर पानी का टैंक मय पम्प आदि लगाना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को, बेसमेन्ट, स्टील्ट प्रथम, फ्लोर, से 12 वे फ्लोर व टैरस तक 45.00 मीटर ऊंचाई की अस्थाई फायर अनापत्ति पत्र के साथ हस्ताक्षरित नक्शों में दर्शाई गई मान्य होगी।
5. निर्माण किये जाने वाले भवन के चारो ओर एरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेट फार्म को प्रभावित स्थान तक पहुँचने हेतु व चारो तरफ धुमने व कार्य करने के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड एवम् जयपुर विकास प्राधिकरण विनियम 2010 के अनुरूप न्यूनतम 18

- फुट खाली स्थान (गलीयारा) रखना होगा एवम् उक्त रखे गये खाली स्थान पर किसी भी प्रकार का अतिछाजन व बाल्कानी का निर्माण निषेध होगा।
6. आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरन्त अग्निशमन केन्द्र पहुँचे इसके लिये स्वचालित आग चेतावनी व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
  7. अस्थाई अग्निशमन अभिषां के स्वीकृत नक्शों में वर्णित आवेदित स्थल का भूमि सम्बन्धी कोई प्रकरण विचाराधीन/विवादित है तो इसके लिये आवेदनकर्ता स्वयं ही उत्तरदायी होगा इस सम्बन्ध में इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
  8. फायर प्रिवेन्शन, फायर प्रोटेक्शन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन में जो उपकरण लगाये जावे व व्यवस्था की जावे उनका टेस्ट व निरीक्षण निम्न हस्ताक्षरकर्ता से करवाकर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद ही भवन का उपयोग लिया जा सकेगा। उक्त की पालना नहीं करने पर भूखण्ड मालिक/आवेदक अस्थाई अनापत्ति प्राप्तकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
  9. भवन में धुआँ निकासी के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप उचित व्यवस्था करनी होगी। व एन.बी.सी के अनुरूप रिफ्यूजी ऐरिया छोड़ना होगा।
  10. आवेदक को फायर अनापत्ति शुल्क या अन्य कोई नगर निगम का शुल्क बकाया रह जाता है तो जमा करवाना होगा अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जावेगी।
  11. जयपुर विकास प्राधिकरण विनियम 2010 की पालना अनिवार्य होगी।
  12. यह अस्थाई अनापत्ति जारी करने की दिनांक से तीन वर्ष तक के लिये मान्य होगी अनापत्ति अवधि समाप्ति पूर्व भवन में उपरोक्त वर्णित समस्त व्यवस्था कर आवेदक को स्थाई फायर अनापत्ति लेनी होगी अगर तीन वर्ष की अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होता है तो पुनः आवेदन कर स्थल का मौका निरीक्षण कर अनापत्ति अवधि बढ़वानी होगी व अस्थाई अनापत्ति अवधि समाप्ति पश्चात स्थाई अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा अन्यथा अवधि समाप्ति पश्चात जमा अमानता राशि जप्त की जा सकेगी व नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत भवन को सील किया जा सकेगा आवेदक का जमा अमानता शुल्क जप्त किया जा सकेगा।

ईश्वर लाल जाट  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
नगर निगम, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, भवन मानचित्र समिति, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ईश्वर लाल जाट  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
नगर निगम जयपुर